पत्रांक–7/मलेरिया–23–01/2012 53(7)9
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ–सह–नियंत्री पदाधिकारी,
मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार, पटना
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी(सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक : 29-10-12

विषय : मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड–N2210061010003 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹ 3,04,37,960/– (तीन करोड़ चार लाख सैतीस हजार नौ सौ साठ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत आवंटनादेश सं0– 23(7)ब दिनांक–3.05.12, 31(7)ब दिनांक–27.06.12, 37(7)ब दिनांक–7.8.12 एवं मांग पत्रों के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹ 3,04,37,960/– (तीन करोड़ चार लाख सैतीस हजार नौ सौ साठ रूपये) मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य– 101–रोगों का निवारण तथा नियंत्रण–0003–राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष विपत्र कोड–N2210061010003 के अन्तर्गत आय–व्ययक आयोजना भिन्न में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबन्धित राशि से किया जायेगा ।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मुख्य मलेरिया कार्यालय के संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सह नियंत्री पदाधिकारी / संबंधित जिला मलेरिया कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे ।

5. किराये में मकान में संचालित जिला मलेरिया कार्यालयों के किराये का भुगतान करने के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित जिला मलेरिया कार्यालय का किराया सरकार से स्वीकृत है। सरकार से किराया स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में मकान किराये का भुगतान नहीं किया जाय एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संगत कागजातों के साथ भेजी जाय।

6. सम्बन्धित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल कार्यरत पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है। विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु प्राप्त आवंटित राशि का व्यय अविलम्ब सुनिश्चित किया जाय ।

9. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

10. आवंटित राशि से किए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

29/12/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 59 (7) 0 पटना, दिनांक : 29-10-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला मलेरिया पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

29/12/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवेक्षन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–06)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	लामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	मुख्य मलेरिया कार्यालय, पटना	900000	810000	180000	2000	9000	9000	1910000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1910000	1148/12.9.12
2	अपर मु० चि० पदा०,पटना	1800000	1800000	360000	3000	18000	18000	3999000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	30000	4039000	619/5.9.12
3	अपर मु० चि० पदा०, गया	4700000	4700000	423000	0	47000	47000	9917000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9917000	290/4.9.12
4	अपर मु० चि० पदा०, नवादा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	10000	0	0	0	0	0	0	35000	358/12.9.12
5	अपर मु० चि० पदा०, नालन्दा	2330000	2330000	209700	0	23300	23300	4916300	0	0	5000	10000	0	2000	0	0	0	0	4933300	478/10.9.12
6	अपर मु० चि० पदा०, भागलपुर	0	0	0	0	0	0	0	58160	0	50000	0	0	0	0	25000	100000	100000	333160	470/10.9.12, 369/31.7.12
7	अपर मु० चि० पदा०, वैशाली	710000	639000	63900	0	7100	7100	1427100	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	1457100	421/31.8.12
8	अपर मु० चि० पदा०, दरभंगा	1000000	900000	90000	0	10000	10000	2010000	0	0	0	0	10000	0	30000	0	0	0	2050000	440/5.9.12
9	अपर मु० चि०पदा०,पूर्वी चम्पारण	1900000	1710000	171000	0	22000	29000	3832000	0	0	25000	0	0	0	10000	0	0	0	3867000	351/31.8.12
10	अपर मु० चि० पदा०, कटिहार	220000	198000	19800	0	2200	2200	442200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442200	417/4.9.12
11	अपर मु० चि० पदा०, मधुबनी	640000	576000	70400	0	6400	6400	1299200	0	100000	25000	0	0	0	30000	0	0	0	1454200	478/6.9.12
	कुल	14200000	13663000	1587800	5000	145000	152000	29752800	58160	100000	130000	20000	10000	2000	100000	25000	110000	130000	30437960	

(तीन करोड़ चार लाख सैंतीस हजार नौ सौ साठ) रू० मात्र

सरकार के संयुक्त सचिव

59(7)ब
29-10-12

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	138027000	113300000	14200000	127500000	10527000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	92478000	67980000	13663000	81643000	10835000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	15814000	11803000	1587800	13390800	2423200
4	परिवहन भत्ता (01–05)	407000	400000	5000	405000	2000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	1692000	1133000	145000	1278000	414000
6	अन्य भत्ता (01–07)	1582000	1133000	152000	1285000	297000
	योग वेतन एवं भत्ते:–	**250000000**	**195749000**	**29752800**	**225501800**	**24498200**
7	मजदूरी (02–01)	6000000	6000000	0	6000000	0
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	500000	390380	58160	448540	51460
9	यात्रा व्यय (11–01)	1200000	600000	100000	700000	500000
10	कार्यालय व्यय (13–01)	1170000	869000	130000	999000	171000
11	दूरभाष (13–03)	234000	115000	20000	135000	99000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	500000	205000	10000	215000	285000
13	विधि प्रभार (13–05)	100000	58000	2000	60000	40000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	306000	104500	0	104500	201500
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	300000	168000	100000	268000	32000
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	228000	116000	25000	141000	87000
17	दवा भण्डार (21–02)	1200000	601200	110000	711200	488800
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	1000	0	0	0	1000
19	मशीने एवं उपस्कर (32–01)	2400000	870000	130000	1000000	1400000
	कुल योग:–	**264139000**	**205846080**	**30437960**	**236284040**	**27854960**

59(7)a
29-10-12

सरकार के संयुक्त सचिव